

Sch XIV- F.No. 180v

बसुदेव मालगुजारी

नाम सर्कल । नाम मौजा मय

धाना धो धाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रेपती

Page No. : 80

नाम रेयत मय वलिदयत जमाबन्दी

Vol No. : 12

वो सकुनत नम्बर।

Receipt No. : 0397120428

कोडरमा सदर । बागीटांड । 332 । Basudeo saw

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
1	30	0 एकड़ 1.65 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिशाब लगान भावली

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वी हाल) मौजूदा सात का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2020-2021)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष (2019-2020)	
माल (नकदी)	0.25				0.25	0.25
गुजारी (भावली)	0.06				0.06	0.06
संस	0.12				0.12	0.12
सूद	0.12				0.12	0.12
मुतफरकात	0.05				0.05	0.05
मौजान	0.60				0.60	0.60

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मौजालवा हाल (2020-2021)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष (2019-2020)		
माल (नकदी)				0.25	0.25	
गुजारी (भावली)				0.06	0.06	
संस				0.12	0.12	
सूद				0.12	0.12	
मुतफरकात				0.05	0.05	
मौजान अदायकारी				0.60	0.60	

(१) मौजान कुल (तफसील में) : One Rupees and Twenty Paise

(२) नाम देहिन्दा -

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 13-02-2021

(३) कुल बकाया- 1.20

खास महाल का बकाया मातगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टीफिकेट जारी हो) सूद नहीं शिवा जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंवलधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान ।

Print

बासुदेव साहू

KODERMA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 597719190221051

Date : 19-02-2021

प्रभावी : 1 2016-2017

सम्पत्ती/सुश्री BASUDEV SAW C/O CHAMAN SAW,
गाँव BAGHITAND KODERMA
KODERMA, 825410
पिन कोड 82540199

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0010000362000M0 वार्ड सं० 1 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार
पर किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है।
अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना

क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	25.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	25.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		25.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

कर निर्धारण की सूची, KODERMA NAGAR PANCHAYAT Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।

संयोजित/संयोजित कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।

सूचना दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।

यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।

यदि किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

गृह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए

निगम/संयोजित कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।

KODERMA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई का

अधिकार प्रदान करता है।

अगर आपके नये होल्डिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.